

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

राजगत पर अध्यात्म कुलसाधेव लीकारी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए व
कि किसी अन्य व्याख्याकारी के नाम से।
इन्हमां विषय पर यहां पूर्ण रूप से व्याख्या
अवश्यक होता है और इसका एक विवरण
उपर दिया गया है जो इसके अवश्यक
उपर दिया गया है जो इसके अवश्यक है।



फ़ॉन : मुख्यालय
दृष्टिगत : ०५७१-(०७५१) २४४२८०१
फ़ॉकल इलेक्ट्रॉनिक्स : २४४२४६२ (फ़ॉकल)
फ़ॉकल : (०५७१-०७५१) २३४१७६०
E-mail : juncg_gwli@rediffmail.com
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :
कुलसाधेव,
लीकारी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बन्ध/2012/ ५७९३

दिनांक : १३/१२/१२

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा २६(i)(v) एवं २४(xii) के अन्तर्गत कार्यविकास की ईकान्त १६ अप्रूवट, २०१२ के एवं क्रमांक (०२) के विषयावाचक आदेश विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सभा २०१२-१३ के लिये प्रस्तावित संवादित बी.कॉम. (अमर्त अविवार्य विषय एवं कर्मव्यूह एवं लीकारी की अतिविधि), बी.बी.ए. एवं बी.सी.ए. पाठ्यक्रम के लिये अवश्यक सम्बन्धित नियन्त्रण के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

१. विश्वविद्यालय प्रत्येक विषय में एक-एक ओर शिक्षावान् एवं लियुपित २८(१७) नं. कर ले।
२. पुस्तकालय के लिए रु. ५०,०००/- की पुस्तकें कर दी जाए।
३. कोर्स से सम्बंधित सभी लीगल अप्लाईट आवृत्ति अन्त संख्या के आधार पर कर दी।

आदेशावृत्ति

कुलसाधेव

प्रति,

१. प्राचार्य, आदेशावृत्ति विश्वविद्यालय, ग्वालियर
२. आयुका, मान्यपदेश शासन, उच्च विधा विभाग, सापूड़ा भवन, भोपाल।
३. लोकेश अधिकारी संचालक, मान्यपदेश शासन, उच्च विधा विभाग, व्यालियर-नंगल संभाग, मोती नगर परिसर, ग्वालियर।
४. उप-कुलसाधेव (प्रीरका/गोपवीर) जीवाजी विश्वविद्यालय, व्यालियर।
५. अधीकारी, परीका कक्ष क्रमांक-०३, जीवाजी विश्वविद्यालय, व्यालियर की ओर सुन्ननार्थ एवं आवश्यक कार्यवाली में।

सहायक कुलसाधेव (सम्बन्धित)